सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र,
Regional Office, Western Region,
"केन्द्रीय पर्यावरण भवन"
"Kendriya Paryavaran Bhavan
लिन्क रोड नं0–3,Link Road No. 3
E-5, रविशंकर नगर/Ravi Shankar Nagar,
भोपाल (म0प्र0)/Bhopal-462016 (M.P.)
फोन– 2466525, 2463102, 2465496
अणुडाक /E-mail: rccfbhopal@gmail.com

क्रमांक: 6-MPC003/2009-BHO/ 664 दि0-16-3-2009,

प्रति,

प्रधान सचिव(वन),
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग,
वल्लभ भवन, भोपाल ।

विषयः गुना, शिवपुरी, मुरैना एवं श्योपुर जिले के 36.447 हे0 आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु उप महाप्रबंधक (निर्माण) गैल इण्डिया लिमिटेड को उपयोग पर देने बाबत् ।

महोदय,

कृपया अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश के उक्त विषयक पत्रांक एफ–5/567/08/10–11/विविध/134 दिनांक 13/01/2009 एवं मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), मध्यप्रदेश का पत्रांक एफ–5/567/08/10–11/376 दिनांक 18/02/2009 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था

राज्य शासन के प्रस्ताव पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात केन्द्र सरकार की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा 36.447 हे0 आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु उप महाप्रबंधक (निर्माण) गैल इण्डिया लिमिटेड के पक्ष में प्रत्यावर्तन करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तो पर सिद्धान्ततः सहमति दी जाती हैः–

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

2. अ) वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर 22.00 हे0 गैर वनभूमि (सर्वे क्रमांक 10, ग्राम–खैरा डिगवार, तह0–सबलगढ, जिला–मुरैना) एवं 29.800 हे0 अवक्रमित वनभूमि (सर्वे क्रमांक 205 एवं पी–689, जिला–गुना एवं शिवपुरी) क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा।
   ब) इस गैरवनभूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित व नामांकित किया जायेगा ।
   स) इस गैरवनभूमि को आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में घोषित किया जायेगा ।

3. उपयोगकर्ता वर्तमान मजदूरी दर से क्षतिपूरक वृक्षारोपण की लागत राशि वन विभाग के पास पेशगी जमा करेंगे ताकि वृक्षारोपण किया जा सके ।

4.अ) समादेश याचिका (सी) क्रमांक 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 क्रमांक–566 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, के आदेशों दिनांक 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008 व 09/05/2008 के अनुसार, तथा मंत्रालय के पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0(पार्ट–II) दिनांक 18/09/2003 के साथ इससे संबंधित पत्रांक 5–2/2006–एफसी दिनांक 03/10/2006 के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य शासन, उपयोगकर्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव हेतु व्यपवर्तित की जाने वाली 36.447हे0 क्षेत्र की वनभूमि के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) वसूली जायेगी ।

....2

ब) विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम पश्चात यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि देय होती है तो यह राशि राज्य उपयोगकर्ता अभिकरण से वसूली जायेगी । उपयोगकर्ता अभिकरण इस आशय का व

5. परियोजना के अन्तर्गत उपयोगकर्ता अभिकरण से प्राप्त समस्त निधि केम्पा (CAMPA) बैंक, ब्लाक 11, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, फेस–I, लोदी रोड, नई दिल्ली–110 003 में संख्या CA 1580 में हस्तांतरित की जायेगी ।

As stipulated by Hon'ble Supreme Court vide their order dated 23/ A. No. 2273-2274 in WP (C) 202/95, about 5% of the total projec Rs. 1.8 crore will be deposited by the Project Authorities in the Com Afforestation Fund for undertaking the conservation and the p measures in the National Chambal Sanctuary and the Samsagar Sanctu

ब) Since the Compensatory Afforestation Fund has not become operational is recommended that a committee consisting of the Princip Conservator of Forests, the Chief Wildlife Warden and the c Conservator of Forests may prepare the scheme for undertak conservation and the protection works in the National Chambal Sanct the money required for the implementation of the works may be release Ad-hoc CAMPA to the Park Authorities as per the above scheme

7- The conditions laid down by the Chief Wildlife Warden, State of Pradesh for the implementation of the projects within the sanctuary strictly complied with.

6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (EIA) अधिसूचना, 2006 के अन्तर्गत यदि पर्यावरण एवं वन मंत्रा दिल्ली से स्वीकृति की आवश्यकता हो तो स्वीकृति ली जायेगी ।

7. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा

राज्य सरकार से शर्त संख्या 2(ब), 3, 4 5 एवं 6(अ) की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त इस कार्यालय द्वारा इस प्रकरण का वन (संरक्षण)अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत अ अनुमोदन प्रदान किया जायेगा ।

जब तक इस कार्यालय द्वारा औपचारिक अनुमोदन न कर दिया जाए, तब तक राज्य सरकार उपयोगकर्ता को वन भूमि के वनेत्तर उपयोग का आदेश जारी न किया जाये ।

(प्रदीप
उप वन संरक्षक